प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

30 अगस्त 2024

तिमाही बीएसआर-2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि – जून 2024

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि[1] – जून 2024[2]' शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस पोर्टल[3] (https://data.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर} तिमाही 'आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ' (बीएसआर) - 2 विवरणी में, जमाराशि के प्रकार (चालू, बचत और मियादी), इसके संस्थागत क्षेत्र-वार स्वामित्व, व्यक्तियों से संबंधित जमाराशियों के आयु-वार वितरण, परिपक्वता पैटर्न, आकार और मीयादी जमाराशियों के ब्याज दर सीमा-वार वितरण के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या पर शाखावार आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। ये आंकड़े अलग-अलग स्तर (अर्थात जनसंख्या समूह[4], बैंक समूह, राज्य, जिले और केंद्र) पर जारी किए जाते हैं।

मुख्य बातें:

- बैंक जमाराशि संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) जून 2024 में विलय के बाद निवल 11.7 प्रतिशत (विलय के प्रभाव सहित 12.2 प्रतिशत) हो गई, जो एक तिमाही पहले 13.1 प्रतिशत (13.7 प्रतिशत) थी।

---

[1] जून 2024 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के लिए पाक्षिक फॉर्म-ए विवरणी (आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत एकत्रित) के आधार पर बैंक जमाराशि संबंधी समग्र डेटा हमारी वेबसाइट (होम>सांख्यिकी>जारी आंकड़े> पाक्षिक>भारत में अनुसूचित बैंक की स्थिति का विवरण) पर पहले ही प्रकाशित किया गया है।

[2] बीएसआर-2 के लिए संदर्भ तिथि तिमाही का अंतिम दिन है। इन आंकड़ों में 1 जुलाई 2023 से किसी बैंक के साथ किसी गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

[3] मार्च 2024 के अंत की स्थिति को शामिल करते हुए, शृंखला में पिछले जारी आंकड़े, 4 जून 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे।

[4] बीएसआर के लिए उपयोग किया जाने वाला जनसंख्या समूह मानदंड 2011 की जनगणना के अनुसार संबंधित राजस्व केंद्र, जहां एससीबी की शाखाएं संचालित हो रही हैं, की जनसंख्या के आकार पर आधारित है और इन्हें ए) 'ग्रामीण' (10,000 से कम जनसंख्या), बी) 'अर्ध-शहरी' (10,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या), सी) 'शहरी' (1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या), डी) 'मेट्रोपॉलिटन' (10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- मीयादी जमाराशियों पर बढ़ते प्रतिफल के अनुरूप, इस जमा श्रेणी में अधिक प्राप्ति हुई है और कुल जमाराशियों में बचत जमाराशियों की हिस्सेदारी जून 2024 में 29.8 प्रतिशत हो गई है, जो एक तिमाही पहले 30.1 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 31.8 प्रतिशत थी।

- 7 प्रतिशत और उससे अधिक ब्याज दर वाली जमाराशियों का हिस्सा जून 2024 में बढ़कर 66.9 प्रतिशत हो गया है, जो एक वर्ष पहले 45.4 प्रतिशत था।

- एक से तीन वर्ष की अवधि की मूल परिपक्वता श्रेणी में अर्जित दो-तिहाई से अधिक मीयादी जमाराशियाँ; वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान वृद्धिशील आधार पर, 90.9 प्रतिशत मीयादी जमाराशियाँ '1 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम' की परिपक्वता श्रेणी में थीं।

- चालू खाता जमा शेष एक वर्ष पहले कुल जमाराशियों का 9.6 प्रतिशत से घटकर जून 2024 में 9.1 प्रतिशत रह गया; सभी जनसंख्या समूहों (अर्थात ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और महानगरीय) में चालू और बचत जमाराशियों दोनों में गिरावट देखी गई।

- घरेलू क्षेत्र में कुल जमाराशियों में महिलाओं की हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है और जून 2024 में 20.6 प्रतिशत हो गई (एक वर्ष पहले 20.3 प्रतिशत)।

अजीत प्रसाद

उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1015